04

पत्रांकः– 313/xxvii(7)40(ix)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु–07, देहरादूनः दिनांकः 8 अक्टूबर,2012

विषयः राज्य कर्मचारियों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था शासनादेश सं0–872/xxvii(7)न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च 2011 द्वारा लागू करते हुये कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु अग्रेत्तर शासनादेश सं0–10/xxvii(7)40 (ix)/2011, दिनांक 07 अप्रैल 2011, सं0–65/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 04 अगस्त 2011 एवं सं0–216/xxvii(7)40 (ix)/2011, दिनांक 14 अक्टूबर 2011 भी निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर अनुभव की जा रही कठिनाइयों एवं कतिपय बिन्दुओं–जिज्ञासाओं के सन्दर्भ में अपेक्षित स्पष्टीकरण–मार्गदर्शन के विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन–स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के प्रसंग में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् सुस्पष्ट करते हुये तद्नुसार ही एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

**(1)** पुनरीक्षित वेतन–संरचना में एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये समानता के आधार पर एक ही तिथि 01.09.2008 से प्रभावी होगी और दिनांक 31.08.2008 तक पुनरीक्षित वेतन–संरचना में सभी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद धारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था, यथावत् लागू रहेगी। परिणामस्वरूप दिनांक 01.01.1996 से लागू वेतनमानों में रू0 8000–13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान की दिनांक 31.12.2005 तक प्रभावी रही, पूर्व व्यवस्था अब दिनांक 31.08.2008 तक यथावत् लागू समझी जायेगी। शासनादेश संख्या–395/xxvii(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर 2008 का प्रस्तर–13 एवं उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(1) इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

**(2)** सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से क्रमशः 10 वर्ष, 18 वर्ष एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं संतोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ, निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे और तदनुसार उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(2)(1) संशोधित समझा जायेगा :–

**(क)** प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा, निरन्तर एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

**परन्तु,**

किसी पद का वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन किसी समय–बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवा–अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

**(ख)** प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 18 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

**परन्तु,**

यदि ए0सी0पी की व्यवस्था लागू होने के बाद सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति, उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन देय होने की तिथि के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है, तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 18 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

**(ग)** द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

**परन्तु,**

ऐसे पदधारक, जिन्हें एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) लागू होने की तिथि 01.09.2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन 18 वर्ष या अधिक की सेवा–अवधि पर अनुमन्य होता है, को द्वितीय स्तरोन्नयन में 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

**(3)** एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू होने के पूर्व अथवा बाद में, प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने के तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित

A

वेतन संरचना में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर प्रोन्नति हुयी है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा। यहां, **"समान ग्रेड वेतन"** का आशय, उस ग्रेड वेतन से तुलना का है, जो कार्मिक की पदोन्नति की तिथि को, उसे किसी भी रूप में (पद के साधारण वेतनमान या समयमान वेतनमान या ए0सी0पी0 यथास्थिति) वास्तविक रूप से प्राप्त ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन, उसे प्राप्त पदोन्नति की तिथि को, पूर्व से वास्तविक रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से निम्न होगा, तो ऐसी पदोन्नति को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के प्रसंग में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में नहीं माना जायेगा। इस सीमा तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1 (2) (v) संशोधित समझा जायेगा किन्तु उसके अधीन **"परन्तुक"** यथावत लागू रहेगा।

**(4)** किसी वरिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन, कनिष्ठ कार्मिक को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में प्राप्त ग्रेड वेतन से निम्न होने की स्थिति का निराकरण किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को निम्नानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगा और तदनुसार उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(7) एवं शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल 2011 के प्रस्तर–3 की तालिका में बिन्दु–02 के संदर्भ में पूर्व निर्गत स्पष्टीकरण को संशोधित समझा जायेगाः–

" किसी कार्मिक को पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कार्मिक को प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से निम्न होने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान ग्रेड वेतन, कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा, जब वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कार्मिकों की भर्ती का स्त्रोत तथा सेवा–शर्तें समान हो तथा यह भी कि वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुई होती, तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये अर्ह होता।"

**(5)** उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के **प्रस्तर–3 (प्रथम अंश)** में उल्लिखित **" धारित पद"** का आशय एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत उस पद से समझा जाये, जिस पद पर सम्बन्धित कार्मिक सेवा के प्रारम्भ में **"सीधी भर्ती"** से नियुक्त हुआ हो और इसी प्रस्तर में **" उक्त आधार"** का आशय कि उक्त शासनादेश के ही प्रस्तर–1 (यथा संशोधित) में निहित व्यवस्था से है। इस सीमा तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का उपर्युक्त प्रस्तर–3 (प्रथम अंश) संशोधित समझा जायेगा।

**3.** उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011,(यथा संशोधित), जिसमें निहित एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (औ0वि0अनु0–1) से निर्गत शासनादेश सं0–2225/vii–1/60–उद्योग/2011 दिनांक

30.11.2011 के प्रस्तर–1(7) द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों पर भी यथावत् लागू किया गया है, के प्रस्तर–3 (द्वितीय अंश) के सुसंगत उप प्रस्तरों में राज्य सरकार के अधीन विभिन्न उपक्रमों/ सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों, जिनके लिये समयमान वेतनमान/उच्च वेतनमान की व्यवस्थायें भिन्न–भिन्न दशाओं में और भिन्न–भिन्न सेवा–अवधियों पर लागू रही हों, के लिये भी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रकिया का उल्लेख नहीं है। अतएव उनके सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकिया सम्बन्धी शासनादेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. कृपया उपर्युक्तानुसार स्थिति से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

**संख्याः– 3।3 (1)/ xxvii(7)40(ix)/2011 तद्दिनांकः–**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।